न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 245 / 2022

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1 गंगाराम पुत्र केसाराम गोदपुत्र बाबुराम जाति जाट निवासी काऊ का खेड़ा माडपुरा सानी तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।		1 गोमाराम 2 केसाराम 3 बाबूराम 4 हीराराम पिसरान भुराराम जाति जाट निवासी काऊ का खेड़ा माडपुरा सानी तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर 5 तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 RTA Act.

उपस्थिति :– 1 श्री लाखाराम साहु, वकील प्रार्थीगण।

2 श्री बलवन्तसिंह चौधरी, वकील अप्रार्थी संख्या 01, 03 व 04।

निर्णय

दिनांक 28/11/22

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है जिसमे प्रार्थी को सफलता मिलने की पूरी संभावना है। प्रार्थी द्वारा एक ओवदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा काऊ का खेड़ा पटवार क्षेत्र कवास तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 413 / 70 रकबा 10.5056 हैक्टयर भूमि आई हुई है। उक्त भूमि भूराराम के स्वर्गवास पर अप्रार्थीगण के नाम नामान्तकरण स्वीकृत हुआ। अप्रार्थी संख्या 03 का विवाह नही होने के कारण अप्रार्थी संख्या 02 के पुत्र प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 03 ने गोद ले लिया जिसके कारण प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 03 के 1/4 हिस्से में उसका भी हिस्सा निहित हो गया, जिसके अनुसार प्रार्थी अपने 1/8 हिस्से पर कब्जा काश्त करता आ रहा है। वर्तमान में भूमि की कीमतों में वृद्धि होने के कारण तथा अप्रार्थी संख्या 01 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो जाने के कारण अप्रार्थी संख्या 03 प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी कर प्रार्थी को बेदखल कर भूमि का बेचान करने पर उतारू है। यदि उक्त बेचान हो जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। लिहाजा अन्तरिम निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थी संख्या 03 के विरूद्ध इस आशय की जारी की जावे कि विवादित भूमि में जो प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि में अप्रार्थी संख्या 03 किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे तथा न ही किसी अन्य से करवाये। मौके व रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाये रखें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 01, 03 व 04 के वकील उपस्थित। वकील अप्रार्थी संख्या 01, 03 व 04 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अस्वीकार किया जावे क्यो कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन में दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत नही किया है लिहाजा प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में नही है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वंशावली भी गलत प्रस्तुत की है

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2023.01.20 14:15:59 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 02 का जायन्दा पुत्र होने से उसके साथ निवास करता है और वादग्रस्त भूमि में कथा–कथित भूमि हड़पने के लिए फर्जी गोदनामा से दिनांक 08.06.2018 को पंजीकृत करवाया है, जो अप्रार्थी संख्या 03 के लिए प्रभावहीन व बेअसर है और अप्रार्थी संख्या 01 से 04 सभी पिछले 30 सालों से अलग निवास करते है तथा प्रार्थी संयुक्त परिवार में निवासरत है। भूराराम फौत हुआ तब प्रार्थी गंगाराम नाबालिग था जो केसाराम के एकमात्र पुत्र होने से अपने पिता के साथ निवासरत था। लिहाज विधि के नियमों से प्रार्थी का केसाराम के 1/4 हिस्से में से 1/8 हिस्सा घोषित करवा सकता है। अतः मौजा काऊ का खेड़ा पटवार क्षेत्र कवास तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 413/70 रकबा 10.5056 हैक्टयर भूमि में अप्रार्थी संख्या 01, 03 व 04 रेकर्डेड खातेदार होने से 3/4 हिस्सा अर्थात् 48.13 बीघा भूमि पर भौतिक कब्जा काश्त है तथा प्रार्थी की भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप अप्रार्थीगण द्वारा नही किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन खारिज करने का निवेदन किया।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जरिये जरिये रजिस्टर्ड गोदनामा गोदपुत्र है अतः पैतृक सम्पति में 1/8 हिस्सा के हकदार है। अतः अप्रार्थी संख्या 03 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जावें।

वकील अप्रार्थी संख्या 01, 03 व 04 का कथन है कि गोदनामा दुर्भिसन्धि से किया गया है। अप्रार्थी संख्या 03 ने शपथ पत्र से अवगत करवाया कि उन्होने प्रार्थी को किसी प्रकार से गोद नही लिया है तथा कब्जा काश्त अप्रार्थी का ही है।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त गोदनामे का निर्णय वाद के निर्णय से होना हैं, अप्रार्थीगण के पक्ष में सुविधा का सन्तुलन बनता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2023.01.20 14:15:59 IST
Reason: SelfAttested

(समदरसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(एसडीओ) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 28/11/22 को सरें इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एसडीओ) बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर